ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1535.12	...	1535.12	2251.24	...	2251.24	1252.15	...	1252.15	2170.42	...	2170.42
वसूलियां	-11.60	...	-11.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1523.52	...	1523.52	2251.24	...	2251.24	1252.15	...	1252.15	2170.42	...	2170.42
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.51	...	12.51	12.59	...	12.59	14.15	...	14.15	20.42	...	20.42
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम	43.79	...	43.79	238.65	...	238.65	238.00	...	238.00	150.00	...	150.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम												
3.01 कार्यक्रम घटक	1478.63	...	1478.63	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00
	-11.60	...	-11.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*1467.03*	...	*1467.03*	*2000.00*	...	*2000.00*	*1000.00*	...	*1000.00*	*2000.00*	...	*2000.00*
3.02 इएपी घटक	0.19	...	0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	*1467.22*	...	*1467.22*	*2000.00*	...	*2000.00*	*1000.00*	...	*1000.00*	*2000.00*	...	*2000.00*
कुल जोड़	***1523.52***	***...***	***1523.52***	***2251.24***	***...***	***2251.24***	***1252.15***	***...***	***1252.15***	***2170.42***	***...***	***2170.42***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-5.11	...	-5.11	33.96	...	33.96	20.95	...	20.95	50.00	...	50.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. भू सुधार	43.79	...	43.79	214.79	...	214.79	214.14	...	214.14	135.00	...	135.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.51	...	12.51	12.59	...	12.59	14.15	...	14.15	20.42	...	20.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**51.19**	**...**	**51.19**	**261.34**	**...**	**261.34**	**249.24**	**...**	**249.24**	**205.42**	**...**	**205.42**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	223.87	...	223.87	123.87	...	123.87	215.00	...	215.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1472.33	...	1472.33	1766.03	...	1766.03	879.03	...	879.03	1700.00	...	1700.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	**1472.33**	**...**	**1472.33**	**1989.90**	**...**	**1989.90**	**1002.91**	**...**	**1002.91**	**1965.00**	**...**	**1965.00**
कुल जोड़	**1523.52**	**...**	**1523.52**	**2251.24**	**...**	**2251.24**	**1252.15**	**...**	**1252.15**	**2170.42**	**...**	**2170.42**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालयीय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का ध्यान, प्रयास और जोर यह है (क) डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में उचित समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए जो अन्य देशों के साथ-साथ भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करेगी, (ख) भूमि संसाधनों का उपयोग अनुकूलित करे, (ग) दोनों जमीन मालिकों और प्रॉस्पेक्टर्स, (घ) नीति और योजना में सहायता, (ङ) जमीन के विवादों को कम करने और (च) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन को जांचने और सभी उपलब्ध सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एकल-खिड़की एक-एक नजर प्रदान करते हैं , जमींदार, संबंधित अधिकारियों / एजेंसियों और इच्छुक व्यक्ति / उद्यमी आदि के लिए किसी भी भूखंड की उचित स्थिति देने के लिए प्रासंगिक जानकारी।

3. **एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक भूमि संसाधन विभाग आईडब्ल्यूएमपी का कार्यान्वयन कर रहा है जिसे 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में समामेलित किया गया था। आईडब्ल्यूएमपी के तहत लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 28 राज्यों (अब 27 राज्य और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र) में 2009-10 से 2014-15 के दौरान 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था।स्कीम के प्रारंभ से राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में (05.10.2020 की स्थिति के अनुसार) 19254.13 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। स्वीकृत 8214 परियोजनाओं में से, शुरू नहीं की गई 345 परियोजनाओं और तैयारी चरण की 1487 परियोजनाओं को राज्यों को उनके राज्य बजट के तहत चलाने के लिए हस्तांतरित किया गया था। भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित की रही शेष 6382 परियोजनाओं में से, अब तक की स्थिति के अनुसार 4561 परियोजनाओं के पूरा किया जाने की सूचना प्राप्त हुई है, 386 परियोजनाएं समेकन चरण में हैं और 1435 परियोजनाएं कार्य चरण में हैं (05.10.2020 की स्थिति के अनुसार)। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का अनुमोदन मार्च 2020 तक है जिसे मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। तथापि, 2014-15 में स्वीकृत बैच-VI की 118 परियोजनाओं की मार्च, 2022 तक की एक निश्चित समय-सीमा है। अतः परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को मार्च, 2021 से और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड के नई पीढ़ी के कार्यक्रम के रूप में, विकास के लिए एक अन्य 20 मिलियन हेक्टेयर वर्षासिंचित और अवक्रमित भूमि पर कार्य शुरू किया है जिसके लिए वर्तमान वित्त-वर्ष 2020-21 में अधिकतम 600 करोड़ रु. रखे गए हैं। इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।